निदेशालय समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,

मानपुर पूरब, रामपुर रोड, हल्द्वानी (नैनीताल)।

Phone : 05946-297051 Fax- 05946-297050 E-mail- directorsocialwelfare@gmail.com Website- www.socialwelfare.uk.gov.in

पत्रांक 4495 / स0क0 / 22(45) / मा.मु.मं.घो. / 2022-23 दिनांक 25 जनवरी, 2023

समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी /
समस्त जिला प्रोबेशन अधिकारी।
उत्तराखण्ड।

विषय–मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–521 / 2018 "अनुसूचित जाति, जनजाति एवं निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु शत–प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी" के सम्बन्ध में।

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 1096 / XVII–2 / 22–19(01) / 2018 दिनांक 09 जनवरी, 2023 **(छायाप्रति संलग्न)** का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत प्रचलित शासनादेश संख्या 748 / XVII–4 / 2016–01(135) / 2013 टी.सी.–1 दिनांक 23.5.2016 के दिनांक 09 जनवरी, 2023 के बिन्दु संख्या–3 में संशोधन करते हुए अब शत–प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

अतः उपरोक्त की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए आपको निर्देशित किया जाता है कि योजना का कियान्वयन संशोधित शासनादेशानुसार करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक–शासनादेश की प्रति।

(के0आर0 जोशी)
सहायक निदेशक,
कृते निदेशक।

पृष्ठांकन संख्या / उपरोक्तानुसार / तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित्।

1. प्रमुख सचिव, उत्तराखण्ड शासन, समाज कल्याण अनुभाग–2, देहरादून।
2. निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4. समस्त कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।

सहायक निदेशक,
कृते निदेशक।

समस्त पटल सहायक (शादी अनुदान)

संख्याः– 1096 /XVII–2/22–19(01)/2018

प्रेषक,

एल॰फैनई,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण विभाग,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी–नैनीताल।

समाज कल्याण अनुभाग–2 देहरादून, दिनांक 09 ~~दिसम्बर, 2022~~ जनवरी, 2023

विषयः–मा.मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–521/2018 की पूर्ति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या–1680/स.क./शादी अनु.–घोषणा/2022–23 दिनांक 24.08.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0मुख्यमंत्री घोषणा संख्या–521/2018 की पूर्ति हेतु शासनादेश संख्या–748/XVII-4/2016-01(135)/2013-टी.सी.–1 दिनांक 23.05.2016 में यथा आवश्यक संशोधन किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की पुत्री एवं सामान्य वर्ग की विधवा पेंशन प्राप्त कर रही विधवाओं की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना हेतु प्रचलित शासनादेश संख्या–748/XVII-4/2016-01(135)/2013-टी.सी.–1 दिनांक 23.05.2016 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

वर्तमान व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
बिन्दु संख्या–3 सफलता पूर्वक आवेदन पत्रों की जाचोंपरान्त प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर वरीयता सूची बनेगी। प्राप्त आवेदन पत्रों का दिनॉक तथा समय के वरीयता कम में अंकित करने के उपरान्त आवेदकों की वरीयतानुसार धनराशि की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।	शत–प्रतिशत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों एवं निराश्रित विधवाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान योजनान्तर्गत आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी।

3–शासनादेश संख्या–748/XVII-4/2016-01(135)/2013-टी.सी.–1 दिनांक 23.05.2016 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उक्त की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4– यह आदेश वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन के अशासकीय पत्र संख्या–I/86142/2022/XXVII(3)/2019 दिनांक 23.12.2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किया जा रहा है।

भवदीय

Signed by L Fanai
Date: 06-01-2023 18:00:15

(एल॰ फैनई)
प्रमुख सचिव

Generated from eOffice by VINOD KUMAR SHARMA, RO-SOCW-VK5, RO-SOCIAL WELFARE, Social Welfare Department on 24/01/2023 10:41 AM

/89435/2023 संख्याः— 1096 /XVII—2/22—19(01)/2018 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1—सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।

2—सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

3—निजी सचिव, मा0 समाज कल्याण मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।

4—वरिष्ठ निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।

5—सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।

6—सचिव, गोपन, उत्तराखण्ड शासन।

7—महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।

8—आयुक्त, गढ़वाल एवं कुमायूँ मण्डल, उत्तराखण्ड।

9—समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक, स०क०)

10—निदेशक, समाज कल्याण/निदेशक, जनजाति कल्याण उत्तराखण्ड।

11—समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।(द्वारा निदेशक, स०क०)

12—समस्त जिला समाज कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड(द्वारा निदेशक, समाज कल्याण)।

13—गार्ड फाईल।

(एल॰फैनई)
प्रमुख सचिव